ISSN - 2348-2397
UGC CARE LISTED JOURNAL
SIE

शोध सरिता

January-March, 2021
Vol. 8, Issue 29
Page Nos. 23-26

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

प्रकरण-योजना एवं कार्यक्रम : महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में

दिशा पालीवाल*
डॉ0 यामिनी पालीवाल**

शोध सारांश

शिक्षा एक दिव्य प्रकाश– पुंज है जिससे समग्र संसार प्रकाशित होता है, शिक्षा सभ्यता का पैमाना है, सफलता और आत्म– निर्भरता की सीढ़ी है। शिक्षा कल्पतरू की भाँति सब कुछ साधने में सहायक होती है। अतः महिलाओं को शिक्षित करना देश हित के लिए परम आवश्यक है। **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा था कि **''समाज रूपी गरूड़ के स्त्री और पुरूश दो पंख होते हैं। यदि एक पंख सबल तथा दूसरा दुर्बल हो तो उसमें गगन को छूने की भाक्ति कैसे निर्मित होगी।''** इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री – पुरूश एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी ? हमारे इतिहास के पृश्ठों में शब्दों से अंकित नारियों की यशोगाथाएं निश्चित रूप से शोभायमान रही हैं। **कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता में झाँसी की रानी की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि–**

बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

अतः महिलाएं प्राचीन काल से ही प्रतिभाशाली रहीं हैं केवल आवश्यकता है तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं उनकी सही जानकारी प्रदान की जाए।

Keywords : केन्द्र सरकार, योजना, कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण।

प्रस्तावना–

शिक्षा एक दिव्य प्रकाश– पुंज है जिससे समग्र संसार प्रकाशित होता है, शिक्षा सभ्यता का पैमाना है, सफलता और आत्म– निर्भरता की सीढ़ी है। शिक्षा कल्पतरू की भाँति सब कुछ साधने में सहायक होती है। अतः महिलाओं को शिक्षित करना देश हित के लिए परम आवश्यक है। **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा था कि **''समाज रूपी गरूड़ के स्त्री और पुरूश दो पंख होते हैं। यदि एक पंख सबल तथा दूसरा दुर्बल हो तो उसमें गगन को छूने की भाक्ति कैसे निर्मित होगी।''**

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री – पुरूश एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी ? हमारे इतिहास के पृश्ठों में शब्दों से अंकित नारियों की यशोगाथाएं निश्चित रूप से शोभायमान रही हैं। **कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता में झाँसी की रानी की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि–**

बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

अतः महिलाएं प्राचीन काल से ही प्रतिभाशाली रहीं हैं केवल आवश्यकता है तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं उनकी सही जानकारी प्रदान की जाए।

भारत में महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण हेतु सक्रिय कदम उठाने का वर्ष 1974 ई. माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष भारतीय महिलाओं का गठन किया गया था जिसने 1975 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद स्त्री –पुरूष समानता की दिशा में गम्भीर प्रयास किए जाने लगे उन्हें 80 के दशक में गति मिली। केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के कार्यक्रम सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजना कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं एवं कार्यक्रम

1. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम–

इस योजना की शुरूवात 1986–87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमताकुशलता और

*शोधार्थी – (शिक्षा विभाग) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
**निर्देशिका – (शिक्षा विभाग) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

दक्षता बढ़ाना है जिससे महिलाएं स्व–नियोजित। उद्यमी बन सकें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों व महिलाओं का कौशल विकास करना है। इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों ं केन्द्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था। संगठनों को सीधे संस्था को अनुदान पहुँचाया जाता है।

2. नारी शक्ति पुरस्कार –

नारी शक्ति पुरस्कार भारत द्वारा दिये जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान की एक श्रंखला है और यह असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को प्रदान किया जाता हैं यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छः श्रेणियों में दिया जाता है।

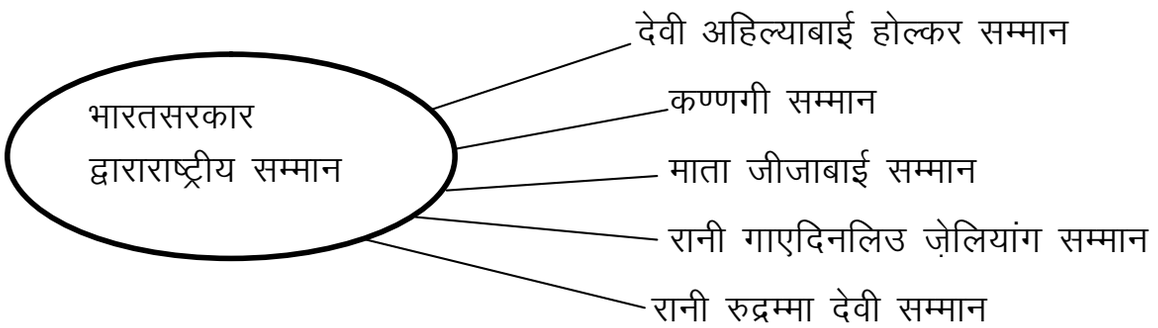

- **देवी अहिल्याबाई होल्कर सम्मान** – यह सम्मान 18वीं शताब्दी की मालिवा शासिका के नाम पर दिया जाता है ।
- **कण्णगी सम्मान** – यह पुरस्कार प्रशिद्ध तमिल स्त्री , कण्णगी के नाम पर दिया जाता है ।
- **माता जी जीजाबाई सम्मान** – यह सम्मान वीर शिवाजी की माता, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी उनके नाम पर दिया जाता है।
- **रानी गाएदिनलिउ ज़ेलियांग सम्मान** – 20वीं शताब्दी की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री, रानी गाएदिनलिउ ज़ेलियांग के नाम पर दिया जाता है ।
- **रानी रुद्रम्मा देवी सम्मान** – यह पुरस्कार स्त्री एवं पुरूष दोनों के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान को 13वीं शताब्दी की दक्षिण पठार की शासिका रुद्रम्मा देवी के नाम पर दिया जाता है।

3. स्वाधार घर –

स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुर्नवास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत है इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वधार घर योजना शुरू की थी । इस योजना के अर्न्तगत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय भोजन , वस्त्र ओर स्वास्थ्य की संकल्पना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना–

इस योजना का शुभारम्भ 2004 में किया था। यह योजना उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो। इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकारें क्रमशः 75% और 25% खर्च का योगदान करेगें। –इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जाति /जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना हैं योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

5. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया था। इस योजना को मनरेगा नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करना है। इस योजाना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों की एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना का 90% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

6. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना–

यह कार्यक्रम 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' द्वारा चलाया जा रहा है। यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2010 से शुरू किया गया थां इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000 रूपये राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना–

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरू की शुरूवात 1 अप्रेल, 2011 को की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11–18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अन्तर्गत की जा रही। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11–15 और 15–18 साल के साल के दो समूहों में विभाजित किया गया है।

(अ) **पोषण** – 11–15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है।

(ब) **गैर पोषण** – 15–18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियों सहित अन्य दवाइयाँ दी जाती है।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–

इस योजना का प्रारम्भ 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का पुनर्गठन का शुरू किया गया था। यह योजना देश सशक्त करने के लिए शुरू की गई है इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4: पर आ जाती है।

9. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना–

सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित जिलों में पूरे देश में व्यापक अभियान तथा केन्द्रीय कृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कारवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (सी एस आर) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार को 405 जिलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 जिलों में सक्रिय जिला मीडिया तथा सहायता की पहुँच जिला जिला आउटरीच के माध्यम से देश के सभी 640 जिलों (अब 2011 की जनगणना के अनुसार को सामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी बी बी पी) कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल 22 जनवरी 2015 को की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए जिला कलेक्टर/उपयुक्त तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी है।

10. महिला ई– हाट–

इस योजना का शुभारम्भ 1अप्रेल 2015 को हुआं इस योजना का मुख्य उद्देश्य घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती है। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला ई –हाट दिया है।

11. वन स्टॉप सेटंर स्कीम –

यह योजना 1 योजना अप्रेल 2015 को 'निर्भया' फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग –अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत यह योजना इन महिलाओं को शरण देती जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है।

12. निर्भया योजना –

महिला एवं बाल विकास विभाग ने आईसीडीएस (इंटीग्रेटड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस) समेकित बाल विकास सेवा के तहत रूद्रप्रयाग में निर्भया योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने लिए कारवाही करने के साथ ही पीड़ित की मदद के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगें इस योजना के तहत जिला स्तर पर भी प्रकोष्ठ केगठित किया गया है, प्रकोष्ठ में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता के साथ ही परामर्शदाता पीड़ित की मदद और उसकी काउसिलिंग करेगा, रूद्रप्रयाग में महिला अपराध के तहत वर्ष 2015 में दहेज हत्या के दो, मारपीट के दो, बलात्कार का एक, लापता के 15 और नाबालिक के साथ बलात्कार का मामला दर्ज है।

सभी लापता महिलाओं को बरामद कर परिजनों को सोंप दिया गया है। निर्भया योजना में गठित कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ित को त्वरित सहायता के लिए निर्भया योजना शुरू की गई है।

13. वूमेन हेल्प लाइन स्कीम –

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभी करण की स्कीम 19फरवरी,2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01 अप्रेल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डब्बयूएचएच) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा सं पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

14. वर्किंग वूमेन हॉस्टल –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास मुहैया करना है। जहाँ पर उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आस–पास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, ग्रामीण एवं कस्वा सभी जगह पर उपलब्ध है ऐसे सभी स्थानों पर वर्किंग वूमेन हॉस्टल की सुविधा प्रदान की गयी है।

15. महिला शक्ति केन्द्र–

भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने लिए वर्ष 2017–2018 से 2019–2020 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केन्द्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजना का

विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। MSK के ब्लॉक स्तर पर पहलों के हिस्से के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयं सेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्पना की गई है। चरणबद्ध तरीके से शामिल करने हेतु 640 जिलों के लिए नए जिला स्तरीय महिला केन्द्र (डीएलएसडब्ल्यू) की भी परिकल्पना की गई है।

16. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना–

इस योजना की शुरूवात प्रधान मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है इस योजना के तहत गरीब महिलायों को मुफ्त **एल पीजी गैस कनेक्शन** प्रदान किए गए। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एल पी जी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा चाहती है।

17. जेंडर बजटिंग एवं अनुसंधान,प्रकाशन तथा मॉनिटरिंग–

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सरकारी आयोजना बजट के जरिए सतत निवेश सुनिश्चत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक जबरदस्त साधन के रूप में जेंडर बजट को अपनाया गया। जेंडर बजटिंग कार्यक्रम, नीति निर्माण, लक्षित समूहों की जरूरतों के आकलन मौजूदा नीतियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रमों के कार्यान्वन, जेंडर संवेदनशील प्रतिफल, परिणाम, जेंडर लेखा परीक्षा और प्रभाव निर्धारण और संसाधनों के पुनः वरीयताक्रमण के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य बनाए से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण अैर विकास के क्षेत्रों में शोध, प्रकाशन एवं मॉनीटरिंग की परियोजना को आयोजित करता है।

18. महिला पुलिस वॉलिंटयर्स–

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य अन्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलिट वालेंटियर (एमपीवी) की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है जो पुलिस और समाज के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करेगी और संकट में महिलाओं की सहायता करेंगी।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार देश में महिलाओं को सामाजिक दृश्टि से सुरक्षित व समर्थ, आर्थिक दृश्टि से स्वतंत्र, स्वावलम्बी बनाने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने, कार्यस्थलों पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने ,उनके तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य, पोशण और शिक्षा की ओर विशेश ध्यान देने हेतु विशेश कानूनों और निगमों की रचना करके उन्हें लागू किया गया है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को केन्द्र एवंसरकार द्वारा चलाकर उनके विकास, कल्याण, उत्थान और प्रगति के द्वारा महिला सशक्तिकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

सन्दर्भ :–

1. आर्य, राकेश कुमार (2020) महिला सशक्तिकरण और भारत, डायमण्ड बुक्स (प्रा.लि.) नई दिल्ली।
2. अय्यर पदमा (2009) ह्यूमन राइटस फॉर वीमेन, प्वांइटर प्रकाशन, जयपुर।
3. चौहान, अरूणा (2016) समकालीन भारत में शिक्षा, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर।
4. जोशी,पं. मोतीलाल (2007), मानवाधिकार और शिक्षा,माया प्रकाशन,जयपुर।
5. कौशिक, आशा (2011) नारी सशक्तिकरण,प्वांइटर प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. सिंह, इन्द्रराज (2020) महिला सशक्तिकरण ,अल्पा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

Links

- https://www.jagranjosh.com
- https:// book.google.co.in
- https%// hi.M.wikipedia.org>wiki>
- https://wcd.nic.in>schemes-llisting
- http://www.india.gov.in>com

❐❐❐